

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 4208/15

प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा.अधि.1956

- श्री कालु, पिता मोतीलाल ^{अजवान} कारवाल नि. गेन्दलिया ^{पु.प.सी}
1. श्री धनश्याम पिता हेरालाल कारवाल ^{वस्ताम}
 2. श्री श्यामाशंकर पिता मोपालाचन्द्र शंजपुर उन्नाव
 3. श्री शम्भुसिंह पिता काकुसिंह शंजपुर नि. वारंड
 4. श्री अम पवार पिता गेन्दलाल नि. गेन्दलिया
 5. श्री सांगु पिता गेन्दा आट नि. वडला
 6. श्री प्यारु पिता
 7. श्री देवी पिता जाना आट
 8. श्री अक्षय पिता गेन्दा आट

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि.1956

आदेश

दिनांक 29.12.316

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 26.10.15 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वारंड तहसील कोटड़ी की नवीन खतौनी सं० 82/19 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक कुल किता 5 रकबा 13.14 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातों / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लिये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं कराये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं प्रकरण में संबंधित भू0अ0निरीक्षक अचोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम वारंड प0म0 वडला स्थित नवीन खतौनी संख्या 82/19 कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक कुल किता 5 रकबा 13.14 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 1300/- रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटड़ी विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश संबंधित भू0अ0नि0 को करेंगे।

24/12/16
(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

1/
(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा